

# कार्यालय प्रधानाचार्य, बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

संख्या / बीआरजी / एमसी-18 / ईसी-1

दिनांक: 06 नवम्बर, 2018

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी०एम०एस०एस०वाई) फेज-III के अन्तर्गत बी०आर०डी० मेडिकल कालेज गोरखपुर में स्थापित सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयके संचालन हेतु सृजित चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर संविदा के आधार पर सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति :::

बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर के सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय के संचालन हेतु सृजित आचार्य, सह-आचार्य तथा प्रवक्ता के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्वारा आमन्त्रित किये जाते हैं। इन पदों पर चयन वाक-इन-इन्टरव्यू (Walk-in- Interview) के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक 26.11.2018 दिन सोमवार को स्थान प्रधानाचार्य कक्ष समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य उपस्थित हों। पदों की संख्या नीचे तालिका में दर्शायी जा रही है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह साक्षात्कार के दिवस को अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित लायेंगे।

क्रं.	विशिष्टता का नाम	आचार्य	सह-आचार्य	प्रवक्ता	योग
1	न्यूरोलोजी	1	1	—	2
2	काडियोलॉजी	1	—	—	1
3	नेफ्रोलॉजी	1	1	—	2
4	न्यूरो सर्जरी	1	—	—	1
5	यूरोलॉजी	1	1	1	3
6	कार्डियोथेरेसिक वैशकुल सर्जरी	1	1	1	3
7	मेडिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी	1	1	1	3
8	सर्जिकल आन्कोलॉजी	1	1	1	3
कुल योग:-		8	6	4	18

२

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू होगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-

1. शासनादेश संख्या:119/2018/2842/71-2-2018-33/2018 दिनांक 20 सितम्बर, 2018 में प्राविधानित सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर आचार्य (कन्सलटेन्ट) के रूप में पुर्ननियोजित को एकमुश्त रू0 2,20,000 का मासिक पारिश्रमिक (Remuneration) प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें उक्त शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के अनुसार होंगी।
2. शासनादेश संख्या:4661/71-1-08-जी-63/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रू0 90,000/-, सह-आचार्यों का नियत वेतन रू0 80,000/- तथा सहायक आचार्य को नियत वेतन रू0 60,000/- एवं प्रवक्ता को नियत वेतन रू0 50,000/- प्रतिमाह है। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें उक्त शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार होंगी।
3. उपरोक्त पदों हेतु आवेदक को Medical Council of India, Minimum Qualification for teachers in Medical Institutions Regulations, 1998 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
4. उपरोक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 एवं दिनांक 20 सितम्बर, 2018 मेडिकल कालेज की वेबसाइट [www.brdmc.ac.in](http://www.brdmc.ac.in) एवं महानिदेशालय की वेबसाइट [www.updgm.in](http://www.updgm.in) पर उपलब्ध है।
5. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती हैं।

(गणेश कुमार)  
प्रधानाचार्य

संख्या 69 / तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 उ0प्र0 लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर/मेरठ/झाँसी/इलाहाबाद/आगरा/कन्नौज/आजमगढ़/अम्बेडकरनगर/जालौन/सहारनपुर/बाँदा एवं बदायूँ।
4. प्रभारी अधिकारी कालेज, बेबसाइड मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5. नोटिस बोर्ड।

(गणेश कुमार)  
प्रधानाचार्य